

पालिका प्रशासन ने नक्शे में जनता के लिए छोड़ी गई सुविधा की भूमि पर से अतिक्रमण क्यू नहीं हटाती है

क्या पालिका अधिकारी व अध्यक्ष भूमाफियाओं के हाथों फैसिलिटी व ओपन लैण्ड बेच रहे हैं

खरबो की जमीन जो आम जनता की होती है वह लाखों में बेचकर अधिकारी चले जाते हैं पर शिवगंज की जनता को रोना ही है बिना सुविधा से

ओपन लैण्ड भूमि अपने नाम करदी करन नगर मे तब ही यह भूमाफिया व अधिकारी के विरुद्ध धोखाधड़ी का मुकदमा दर्ज होना चाहिए

द पुलिस पोस्ट

शिवगंज नगर पालिका क्षेत्र व पैरा फेरी क्षेत्र में काटी गई कॉलोनीओं की ओपन लैंड भूमि पर अतिक्रमण करवाकर आगे बेचा जा रहा है ओपन लैण्ड भूमि को लेकर वह करवाया गया भूमाफियाओं के विरुद्ध कार्यवाही को लेकर पालिका प्रशासन कब कार्रवाई करेगी क्या ऐसा ही चलता रहेगा रवेया सत्ता बदली रवेया नहीं बदला इसका फायदा पर उतरे कांग्रेसी क्योंकि कांग्रेस कार्यकाल में खूब घोटाला हुए जितनी सरकारी जमीन पड़ी थी उसके पट्टे बनाकर उन्होंने गरीबों को बेच दिया जैसे खसरा संख्या 131 बड़गांव जमीन की जांच करवाई जाए वहां पर नदी किनारे पर पड़ी जमीन फर्जी तस्वीर करके उसका पट्टा बनाकर दे दिया जैन परिवार के नाम का वह एक जैन ने मिलकर 1900 फीट का पट्टा एक जगह का बना कर ले लिया और एक अन्य जगहों पर कब्जा करके वहां का पट्टा बनाने के लिए रात दिन कोशिश कर रहे हैं उसका पट्टा नहीं बनाए पर उस जमीन पर अतिक्रमण कर दिया उसी के पास में तीन कॉलोनी कटी हुई थी लक्ष्मी कीर्ति नगर कपुर सोसाइटी एम एम रेजिडेंस उसकी ओपन लैण्ड कहां गई उस ओपन लैंड पर लोगों ने कब्जा कैसे कर दिया इसी के साथ की शिवगंज शहर की जवाई नदी के किनारे पर जितने भी सरकारी जमीन पड़ी है उन सभी की जांच करवाई जाए वह शहर में शांति नगर अंबिका कॉलोनी वह शिव कॉलोनी की ओपन लैण्ड एक जगह पर होने से एक बड़ा चौक बन गया पर इस चौक में कई जगह पर कब्जा हो गए लोगों ने चौक की तरफ मुंह दरवाजे खोल दिया जो नहीं होना चाहिए ऐसे ही आनंद नगर गली नंबर 1 की ओपन लैण्ड गली नंबर 3 की ओपन लैण्ड वह गली नंबर 4 की ओपन लैण्ड पर लोगों ने कब्जा कर लिया है वह पट्टा बना दिया है इसी के साथ राणावत कॉलोनी की तीन या चार टुकड़ों में काटी गई उसकी ओपन लैण्ड कहां गई सबसे बड़ी श्रीजी कॉलोनी जिसकी आदि से ऊपर सरकारी जमीन पर लोगों ने कब्जा कर दिया वहां पर राजनेताओं ने ही कब्जा किया है इसी के साथ गोकुलवाडी बजुरिया जाव पुरीजी जाव करण नगर की ओपन लैण्ड लोगों ने बेचकर खा गए वह शिवम नगर उसके आगे रूप रजत वह शिव शक्ति व पास में एक कॉलोनी और है उसकी ओपन लैण्ड पर लोगों ने कब्जा कर दिया उसी के आगे बजुरिया जाव में जितनी भी कॉलोनी काटी गई है उन सभी ओपन लैंड वह फैसिलिटी की जमीन कहां गई किसी के आगे छावनी क्षेत्र में वह मेणवाड़ा के पीछे हरिओम कॉलोनी सरस्वती कॉलोनी अंबिका कॉलोनी पुण्योदय नगर सहित और कॉलोनी जो आसपास में पड़ी है उसे सभी की ओपन लैंड वह भूमाफियाओं ने बेचकर खा गया तहसील के पीछे शुख बिहार कॉलोनी की ओपन लैंड जमीन को बेचकर खा गए लक्ष्मी नगर सहित अन्य कॉलोनी जैसे कलापुरा वुडलैंड होटल के पीछे




कुटुम कॉलोनी मंडार कॉलोनी नाकोड़ा नगर नाकोड़ा कॉलोनी इसके बाद शिवगंज की संपूर्ण कॉलोनीओं की जांच करवाई जाए तो इस कॉलोनीओं में पड़ी ओपन लैण्ड व फैसिलिटी व सरकारी अन्य सुविधाओं की जमीन पर भूमाफियाओं ने कब्जा कर दिया या बेचकर खा गए नहीं छोड़ रहा है एक इंच भी जमीन क्योंकि उनको पता है शिवगंज की जमीन का भाव आसमान में है स्वचायर फिट के हजारों रुपए है तो वह लोग क्यों नहीं छोड़ेंगे ऐसे ही शिवगंज से पैरा फेरी से जैतपुरा सड़क जो मास्टर प्लान के अंदर वह पैरा फेरी में ग्रीन बेल्ट में काटी गई कॉलोनी की ओपन लैण्ड सबसे पहले विकी है केसरपुरा के अंदर होकर खेजडिया जाने वाले रास्ते पर काटी गई कॉलोनी उसकी भी ओपन लैंड भूमि को बेचकर खा गए केसरपुरा से कामबेशवरजी रोड व नेहरू नगर से बड़गांव रोड शीतला माता चौक से बड़गांव तक वह बड़गांव में काटी गई कॉलोनी जो ज्यादातर नियमों की विपरीत कॉलोनी हुई है उन सभी कॉलोनी की जांच करके उनकी पहले वह सुविधाओं की जमीन पर पहले कब्जा कर देना चाहिए या उसकी चार दिवारी करनी चाहिए या तारबंदी करके पालिका को अपना बोर्ड लगा देना चाहिए क्योंकि एक कॉलोनी किसकी सड़क 30 फीट से कम है कहीं पर 20 फीट कई पर 10 फीट उसके भी

पालिका ने पट्टे जारी कर दिए उसकी भी जांच होनी चाहिए बड़गांव रोड पर एक कॉलोनी जो सो मोटो के लिए पट्टे जारी किया वह सभी फर्जी पट्टे क्योंकि 100 मोटो के अंतर्गत उस कॉलोनी में 10% मकान बनने आवश्यक हो या उस कॉलोनी का विकास किया हो तो उसके पट्टे पालिका बनाकर दे सकते हैं और इस कॉलोनी में एक भी मकान नहीं बना था उसके बाद उसके ऊपर तैयारी कर दिए तो कितना बड़ा भ्रष्टाचार हुआ होगा तुरंत इसकी जांच होनी चाहिए और बड़गांव रोड में कई कॉलोनी ऐसी है जो पालिका में उसकी पत्रावली भी नहीं लगी उसके ऊपर उसको घुमाकर कृषि रजिस्ट्री करवा कर गरीबों के साथ धोखा कर रहे हैं सस्ते भाव में बताकर लोगों को लूट रहे हैं इन सभी की जांच पालिका प्रशासन को करनी चाहिए और जो फर्जी कॉलोनी है उस पर जेसीबी से सफाई करवा कर वहां पर पालिका को अपने बोर्ड लगाने चाहिए जिससे गरीब लोग नहीं फस सके तो उनके साथ के धोखा ना हो सके


ईनका क्या कहना है

क्योंकि नगर पालिका क्षेत्र में सबसे ज्यादा धोखाधड़ी कर रहे हैं क्योंकि उनकी जमीन नहीं फिर भी वह बेचकर लोगों से एग्रीमेंट पर पैसा लेकर बताकर बेच रहे हैं सबसे बड़ा घोटाला कर रहे भूमाफियाओं की जांच होनी



चाहिए एससी एसटी की जमीन लेकर उसकी जनरल ऑफ अटॉर्नी लेकर पार्टी अपने नाम पर करवा कर एससी एसटी लोगों के साथ धोखा कर रहे हैं कॉलोनी की जांच करवा कर जिसमें पावर एटनी लगी है उन सभी कॉलोनीयों को खारिज करना चाहिए वह एससी एसटी की गरीब लोगों के साथ की गई धोखाधड़ी में वापस जमीन उनके नाम की करनी चाहिए तब जाकर इन भूमाफियाओं को पता चलेगा कि आम लोगों के साथ धोखा नहीं कर सके और एससी एसटी के लोग गरीब होते हैं उनके साथ धोखा कर रहे हैं इससे सस्ती जमीन खरीद कर बड़ी-बड़ी कॉलोनी काटकर लाखों रुपए लूट रहे इनके विरुद्ध कार्रवाई करनी चाहिए और इन भूमिपियों के खिलाफ मुकदमे दर्ज होना चाहिए

जैसाराम माली अध्यक्ष पर्यावरण एवं वन विकास समिति शिवगंज शिवगंज से पालड़ी जोड़ सड़क पर काटी गई एसटी लोगों के साथ धोखा कर रहे हैं कॉलोनी जो बड़ी कॉलोनी आर्यावर्त कॉलोनी के ई डब्ल्यू एस एल आई जी के भूखंड वह फैसिलिटी बगीचे की भूमि पार्क की भूमि को बेचकर खाने वाले उसके मालिक के विरुद्ध कार्रवाई होनी चाहिए वह सत्संग भवन वाली सड़क पर कॉलोनी की ओपन लैण्ड फैसिलिटी की जमीन पर कब्जा करना चाहिए ऐसे ही इस सड़क पर जितने भी कालोनी काटी गई है उन सभी ओपन लैंड फैसिलिटी अन्य सुविधाओं की जमीन पर चारदीवारी बनाकर तारबंदी कर पालिका को अपना कब्जा करना चाहिए



शिवगंज
नगर पालिका क्षेत्र चांदाना रोड पर कॉलोनी वह इस पर सरकारी जमीन गोचर नाडिओ व नदीयो नालों की भूमि पर हुए अतिक्रमण को अतिक्रमण मुक्त करवाना चाहिए वह रिको के आसपास काटी गई कॉलोनी सभी की ओपन लैण्ड जमीन वह मास्टर प्लान रिंग रोड मास्टर प्लान सड़कों पर रिको के प्लॉटों की जांच होनी चाहिए वह मास्टर प्लान व गुलाब कोवारी के

आदेशों के विपरीत कार्यवाही के पट्टे जो नियमों के विपरीत जारी किए गए सभी पट्टे को खारिज करना चाहिए वह सरकारी जमीन बिलानाम भूमि पर अन्य सुविधाओं की जमीन पर किए गए अतिक्रमण को पालिका को मुक्त करवाने चाहिए वहां पर लोहे के बड़े बोर्ड तारबंदी कर उन्हें कब्जे में लेना चाहिए
कमलसिंह चौहान गौ रक्षक व्यापारी उद्यमी रिको शिवगंज

अनुमति को लेकर पशोपेश में प्रशासन.. भंडारा आस्था का विषय, वाणिज्य कारोबार थोड़ी है नियम नहीं आएंगे आड़े

अब बाबा रामदेव सेवा समिति को है भंडारा संचालन की अनुमति का इंतजार

द पुलिस पोस्ट

सिरौही जिले का प्रमुख व्यापारिक शहर एवं धर्म नगरी शिवगंज के एकमात्र सार्वजनिक सुविधा स्थल महाराजा मैदान जहां दशकों से शहर में होने वाले विभिन्न धार्मिक, राजनीतिक, सामाजिक एवं मनोरंजक कार्यक्रम होते रहे हैं, उस भूमि पर को प्रशासन की ओर से कृषि भूमि बताने के बाद भविष्य में इस मैदान में होने वाली गतिविधियों पर रोक लगने की संभावना बलवती हो गई है। हाल ही में प्रशासन की ओर से इस मैदान पर लगने वाले फेस्टीवल मेले जिसकी स्वयं प्रशासन ने ही अनुमति दी थी, उसे कुछ व्यापारियों के विरोध और उन्हीं व्यापारियों की ओर से इस भूमि को कृषि भूमि बताए जाने के बाद हुई जांच के बाद एनवक्त पर अनुमति को निरस्त कर फेस्टीवल संचालक को लाखों रूपए के बोझ तले दबा दिया था। अब उसी भूमि पर पिछले कई सालों से बाबा रामदेव मंदिर पोकरण दर्शनार्थ जाने वाले जातरुओं की सुविधा के लिए लगने वाले भंडारे की अनुमति प्रदान करने को लेकर प्रशासन पशोपेश की स्थिति में है। बाबा रामदेव सेवा समिति की ओर से जलदाय विभाग के सामने महाराजा मैदान में भंडारा आयोजित करने को लेकर उपखंड अधिकारी कार्यालय में किए गए आवेदन को लेकर कोई निर्णय नहीं हो सका है। जानकारी मिली है कि सेवा समिति के इस आवेदन पर किसी निर्णय पर पहुंचने से पहले उपखंड अधिकारी ने तहसीलदार, अधिशासी अधिकारी एवं थानाधिकारी से जांच रिपोर्ट मांगी है।

सुरक्षा और फायर ब्रिगेड की व्यवस्था करनी चाहिए गौरतलब है कि शहर का महाराजा मैदान जहां पिछले कई दशकों से शहर में निवास करने वाले लोगों के लिए मनोरंजन के लिए जाहज से मेले सर्कस इत्यादि लगते रहे हैं। इतना ही नहीं यह मैदान कई धार्मिक एवं सामाजिक गतिविधियों का भी गवाह रहा है। शहर के लिए कोई बड़ी गतिविधि हो इसके लिए महाराजा मैदान ही सबसे उपयुक्त जगह मानी जाती है। इसकी वजह यह है कि इस शहर में इससे बड़ा कोई स्थान नहीं है। इसके अलावा न ही पालिका प्रशासन के पास ऐसी कोई बड़ी भूमि है जहां इस प्रकार के आयोजन संभव हो सके। इसी वजह से गत दिनों यहां लगने वाले फेस्टीवल मेले जिसमें देश के अलग अलग प्रदेशों में निर्मित होने वाली हैडीक्राफ्ट व कांच की वस्तुओं जिसे अमुमन यहां के व्यापारी नहीं बेचते हैं, उसका विक्रय होना था। और तो और इस मेले में 90

धार्मिक कार्यक्रम आयोजित किया जाना चाहिए यह कोई वाणिज्यिक धंधा थोड़ी कर रहे हैं



फीसदी ऐसी वस्तुएं बिक्री के लिए आती जो यहां के व्यापारी नहीं बेचते। इस फेस्टीवल मेले के संचालन के लिए संचालक ने उपखंड अधिकारी एवं नगर पालिका प्रशासन से नियमानुसार अनुमति भी ली थी। पालिका प्रशासन की ओर से नियम कायदे के अनुसार जो राजस्व अर्जित किया जाना था वह जमा कर 10 जुलाई को अनुमति जारी कर दी थी। जबकि उपखंड प्रशासन की ओर से 18 जुलाई को अनुमति दी गई। अनुमति मिलने के बाद फेस्टीवल मेला संचालक ने यहां अस्थाई टेंट, झूले इत्यादि व्यवस्था करनी आरंभ कर दी। इस बीच जब सारी व्यवस्था हो गई और जब मेला प्रारंभ होना था, समाचार पत्रों में विज्ञापन भी प्रकाशित हो गए। एनवक्त पर प्रशासन ने यह कहते हुए रोक लगा दी कि यह कृषि भूमि है और इस पर किसी प्रकार की गतिविधि आयोजित करने की अनुमति नहीं दी जा सकती। एक मात्र सार्वजनिक स्थल पर वाणिज्यिक कारोबार की अनुमति बनी रोड़ा प्रशासन की ओर से अनुमति निरस्त किए जाने की प्रमुख वजह यहां के गिनती के

व्यापारी थे। वैसे तो शिवगंज में कई व्यापार संगठन हैं, लेकिन केवल एक व्यापार संगठन और वह भी पूरा नहीं बल्कि पांच या सात व्यापारियों का इस बात को लेकर विरोध था कि मेला लगने से उनका व्यापार प्रभावित होगा। इसी बात को लेकर को दामन थाम अपने विरोध का झंडा बुलंद किए हुए थे। हालांकि इस दौरान वे जनप्रतिनिधियों से भी मिले, प्रशासन से भी मेले की अनुमति रह करने का आग्रह किया। आखिरकार इन लोगों ने प्रशासन के सामने ऐसा तथ्य लाया, जो केवल फेस्टीवल मेला ही नहीं बल्कि सभी प्रकार की गतिविधियों के लिए पूर्ण विराम लगाने जैसा हो गया। इन लोगों ने प्रशासन को यह बताया कि यह भूमि जिसे महाराजा मैदान के नाम से पहचाना जाता है वह कृषि भूमि है और कृषि भूमि पर किसी प्रकार की गतिविधि की अनुमति नहीं दी जा सकती है। यह बात सामने आने पर जिला कलेक्टर के निर्देश पर उपखंड अधिकारी ने तहसीलदार से जांच करवा इसके कृषि भूमि होने की जानकारी सामने आने के बाद फेस्टीवल मेले पर रोक लगा दी। ऐसे में प्रशासन की ओर से



फेस्टीवल मेले पर रोक लगाना भविष्य के लिए एक नजीर बन गया है।

तो फिर ऑनलाइन शॉपिंग के खिलाफ भी क्यों नहीं उठाते आवाज

जो व्यापारी मेले के विरोध में उनसे एक बड़ा सवाल है उसका भी जवाब देना चाहिए कि उन्होंने अपना व्यापार प्रभावित होने का जो पक्ष प्रशासन के समक्ष रखा वे क्या शहर में कोई कंपनी आकर मॉल लगाने की इच्छा जाहिर करें तो क्या उस पर रोक लगावा सकते हैं? क्योंकि मॉल भी तो एक मेले की ही तरह होता है, जहां प्रवेश करने के बाद व्यक्ति घर के लिए सभी आवश्यक वस्तुएं लेकर ही बाहर निकलता है। क्या वे ऑनलाइन शॉपिंग पर रोक लगावा सकते हैं? जिसकी वजह से कथित रूप से उनका व्यापार बुरी तरह प्रभावित हुआ है या हो रहा है। ऑनलाइन शॉपिंग, मॉल चलने की वजह यह है कि ग्राहक हमेशा किफायती और बढि वस्तु खरीदने की चाहत रखता है और ग्राहक

को वहां से ये दोनों फायदे मिलते हैं। व्यापार करना तो सभी का अधिकार है, फिर कोई फेस्टीवल मेला लगाकर करें, या दुकान लगाकर या फिर मॉल बनाकर। यदि कोई भारतीय है तो वह देश में कहीं पर भी जाकर व्यापार कर सकता है, उसे स्थान के आधार पर व्यापार नहीं करने दिया जाए यह तो सही नहीं कहा जा सकता।

अनुमति दे या नहीं, पशोपेश में प्रशासन

बहरहाल, यह बात तो फेस्टीवल मेले की थी, अब फिर से महाराजा मैदान की तरफ रुख करते हैं। फेस्टीवल मेले पर प्रशासन की ओर से रोक लगाए जाने के ठीक दूसरे ही दिन बाबा रामदेव सेवा समिति की ओर से जलदाय विभाग के सामने लगने वाले भंडारे की अनुमति को लेकर सेवा समिति के पदाधिकारी उपखंड कार्यालय पहुंचे और उपखंड अधिकारी से अनुमति प्रदान करने का आग्रह किया। उस समय भी उपखंड अधिकारी ने इस भूमि को कृषि भूमि बताते

हुए इंकार कर दिया और भंडारा संचालन के लिए दूसरी जगह का चयन करने का आग्रह किया। लेकिन पदाधिकारियों का कहना था कि वे कई सालों से इसी स्थान पर भंडारा संचालित करते आए हैं, इस वजह से उन्होंने भंडारा इसी स्थान पर संचालित करने की अनुमति मांगी। सेवा समिति के आवेदन को लेकर अब प्रशासन इस पशोपेश में है कि जब यह रिपोर्ट पर आ चुका है कि यह भूमि कृषि भूमि है और इसका उपयोग अन्य प्रायोजन के लिए नहीं हो सकता, फिर अनुमति कैसे दी जा सकती है। इसे लेकर अब उपखंड अधिकारी ने तहसीलदार, अधिशासी अधिकारी व थानाधिकारी से जांच कर रिपोर्ट पेश करने के लिए कहा है। अब देखना यह है कि जांच रिपोर्ट के बाद आस्था के इस मसले पर प्रशासन क्या निर्णय लेता है भंडारे का आयोजन तो होगा ही पर व्यापारिक धंधा नहीं कर पाएंगे इस जगह पर क्यू की यह जगह दरबार की है और स्वीकृति अधिकारी देते हैं जो भंडारे के लिए बाधित नहीं हो सकता।

भीलवाड़ा जिले के जलग्रहण विकास एवं भू संरक्षण विभाग,

राजस्थान सरकार द्वारा जारी 17 टेंडर नोटिसों की क्रियान्विति पर राजस्थान हाईकोर्ट ने लगाई रोक

द पुलिस पोस्ट

भीलवाड़ा / राजस्थान हाईकोर्ट मुख्य पीठ जोधपुर की एकलपीठ ने अधीक्षण अभियंता एवं परियोजना प्रबंधक वॉटरशेड सेल कम डाटा सेंटर जिला भीलवाड़ा द्वारा जारी टेंडर नोटिस संख्या 11/2024-25 27/204-24 की क्रियान्विति पर रोक लगाते हुये अतिरिक्त मुख्य सचिव ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग राजस्थान सरकार एवं निदेशक जलग्रहण विकास एवं भू संरक्षण विभाग राजस्थान सहित जिला कलेक्टर भीलवाड़ा एवं मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिला परिषद भीलवाड़ा सहित अधीक्षण अभियंता एवं परियोजना प्रबंधक वॉटरशेड सेल कम डाटा सेंटर जिला भीलवाड़ा को नोटिस जारी कर जवाब तलब किया है। यह आदेश मैसर्स निर्वाण कंस्ट्रक्शन फर्म की याचिका पर माननीय न्यायाधिपति सुश्री रेखा बोराना की एकलपीठ ने जारी किए हैं। याचिकाकर्ता के अधिवक्ता प्रदीप कलवानिया एडवोकेट एवं एडवोकेट सुशीला कलवानिया ने बताया कि अधीक्षण अभियंता एवं परियोजना प्रबंधक वॉटरशेड सेल जिला भीलवाड़ा द्वारा माह फरवरी 2024 में भीलवाड़ा जिले के आठ ब्लॉकों यथा पंचायत समिति, बिजोलिया, बनेड़ा, आसिंद, जहाजपुर, कारेडा, मॉडल, माण्डलगढ़, सुवाना में जलग्रहण विकास एवं भू संरक्षण के कार्य करवाने हेतु आठ अल्पकालीन निविदा सूचना संख्या 06/2023-24 से 13/2023-24 जारी

की थी तथा उक्त निविदा सूचना में याचिकाकर्ता सहित अन्य तीन फर्मों ने ऑनलाइन भाग लिया था जिसमें याचिकाकर्ता की फर्म सहित अन्य निविदा में भाग लेने वाली फर्मों की बोलियों का तकनीकी व आर्थिक मूल्यांकन किया गया जिसमें याचिकाकर्ता फर्म की बोली सबसे कम पाए जाने पर निविदा मूल्यांकन समिति द्वारा याचिकाकर्ता को कार्य आदेश जारी करने की अनुशंसा की तथा अधीक्षण अभियंता जलग्रहण विकास एवं भू संरक्षण विभाग भीलवाड़ा द्वारा याचिकाकर्ता को दिनांक 28 व 29 फरवरी 2024 को पत्र जारी कर सिक्वोरिटी डिपॉजिट एवं स्टॉम्प ड्यूटी आदि जमा करवाने हेतु निर्देशित किया जिसकी पालना में याचिकाकर्ता राशि जमा कराने दो उपस्थित हुआ लेकिन सिक्वोरिटी राशि जमा करने से इंकार कर दिया और किसी अजनबी व्यक्ति की शिकायत पर श्रीमान जिला कलेक्टर भीलवाड़ा के आदेश से मुख्य कार्यकारी अधिकारी जिला परिषद एवं लेखाधिकारी जिला कलेक्टर कार्यालय भीलवाड़ा से जांच करवा कर टेंडर प्रक्रिया में प्रक्रियात्मक कमियां बताते हुए याचिकाकर्ता के टेंडर को निरस्त करने हेतु श्रीमान अधीक्षण अभियंता जलग्रहण विकास एवं संरक्षण विभाग भीलवाड़ा को दिनांक 19.06.2024 को पत्र जारी कर दिया। तथा याचिकाकर्ता व अन्य फर्मों उक्त टेंडर को निरस्त की सूचना नहीं दी जाकर अपने पसंदीदा फर्म को अनुचित लाभ पहुंचाने के उद्देश्य से टेंडर की

शर्तों में बदलाव करते हुए पुनः नए सिरे से 19 समान कार्यों के नए टेंडर नोटिस जारी कर दिए जिसके तहत दिनांक 29 जुलाई 2024 तक नए सिरे से टेंडर हेतु ऑनलाइन आवेदन आमंत्रित की जा रहे हैं। याचिकाकर्ता के अधिवक्ता प्रदीप कलवानिया एडवोकेट ने बताया कि श्रीमान अधीक्षण अभियंता जलग्रहण विकास एवं भू संरक्षण विभाग भीलवाड़ा द्वारा पूर्व टेंडर निरस्तीकरण के संबंध में कोई भी सूचना व नोटिस नहीं दिया गया और नहीं निरस्तीकरण बाबत कोई भी सूचना टेंडर प्रक्रिया में बोली लगाने वालों को दी गई। इस प्रकार विभाग द्वारा राजस्थान लोक उपापन में पारदर्शिता अधिनियम 2012 के प्रावधानों का उल्लंघन किया है साथ ही नए टेंडर में मुख्य योग्यता के मानदंडों यथा मुख्य रूप से पिछले पांच वित्तीय वर्षों के औसत वार्षिक टर्नओवर की शर्त को डिलीट कर अपने चहेतों को लाभ पहुंचाने के उद्देश्य से नए टेंडर जारी कर दिए। याचिकाकर्ता उक्त कार्यों के लिए विभाग द्वारा पूर्व में जारी टेंडर प्रक्रिया में एल-1 होने के बावजूद भी को वर्क ऑर्डर जारी नहीं किये जो की विधि विरुद्ध एवं फ़ल्टर एक्ट के प्रावधानों के विपरीत है लिहाजा नई टेंडर प्रक्रिया पर रोक लगायी जाए। इस पर राजस्थान हाईकोर्ट जोधपुर की एकलपीठ ने एडवोकेट प्रदीप कलवानिया की दलील पर नए टेंडर नोटिसों की क्रियान्विति पर रोक लगाकर को राहत दी है

सफाईकर्मि भर्ती में वाल्मिकी समाज को प्राथमिकता मिले कोठारी

द पुलिस पोस्ट

भीलवाड़ा विधायक अशोक कोठारी ने नगरीय विकास एवं स्वायत्त शासन विभाग के मंत्री झाबर सिंह खर्वा को अवगत कराया कि वाल्मिकी समाज कई वर्षों से सफाई का कार्य करता आ रहा है, यह कार्य पीढ़ी दर पीढ़ी इनके समाज द्वारा किया जा रहा है। कोरोना काल के दौरान भी वाल्मिकी समाज द्वारा शहर, अस्पताल एवं कॉलोनीयों की स्वच्छता में कोरोना वॉरियर बनकर अपने स्वयं के स्वास्थ्य की चिंता न करते हुए पूर्ण समर्पण भाव से सेवा की है। साथ ही आग्रह किया कि सफाई कर्मचारी भर्ती प्रेक्टिकल आधार पर करते हुए भुगतान मस्टरॉल के द्वारा किया जाये। वाल्मिकी समाज परम्परागत रूप से सफाई कार्य से जुड़े हुए हैं, इनको प्राथमिकता देते हुए निकाय, निगम, परिषद् एवं पालिका में सफाई कार्य किये हुए कार्मिकों को अतिरिक्त बोनस अंक देकर वरीयता दी जावे। इस पर माननीय मंत्री झाबर सिंह खर्वा ने विधानसभा में वाल्मिकी समाज को सफाई कर्मचारियों की भर्ती में पारदर्शी नियम बनाते हुए भर्ती किये जाने हेतु आश्वस्त किया।

ऑपरेशन डोमिनेशन में 2 दिन में 146 आरोपी गिरफ्तार:पुलिस की 70 टीमों ने 240 जगह दबिशा दी; 287 पुलिसकर्मि रहे शामिल

**द पुलिस पोस्ट**

भरतपुर। भरतपुर जिला पुलिस ने अपराधियों के खिलाफ दो दिन के लिए एरिया डोमिनेशन अभियान चलाया। इस अभियान के तहत पुलिस ने 146 अपराधियों को गिरफ्तार किया। पुलिस की 70 टीमों ने 240 जगह दबिशा दी। इन टीमों में एडिशनल एसपी से कॉन्स्टेबल तक 287 पुलिसकर्मि शामिल रहे। पुलिस के इस अभियान से अपराधियों में हड़कंप मच गया। यह अभियान 27 और 28 जुलाई को चलाया गया। पुलिस के इस अभियान में हार्डकोर, हिस्ट्रीशीटर, आवदन अपराधी, इनामी, वारंटी, स्थायी वारंटी और मुकदमों में फरार चल रहे 73 बदमाशों को गिरफ्तार किया गया है। अवैध शराब बेचने वाले 5 आरोपियों को गिरफ्तार कर 311 अवैध देसी शराब के पत्ते जब्त किए गए। एनडीपीएस एक्ट में एक आरोपी को गिरफ्तार किया गया। आरोपी को कब्जे से 6 किलो 70 ग्राम गांजा जब्त किया गया है। अवैध खनन करने वाले अवैध खनन माफियाओं के खिलाफ दो मामले दर्ज कर 1 आरोपी को गिरफ्तार किया गया। साथ ही अवैध खनन के उपयोग में लिए जा रहे 4 ट्रैक्टर और 3 एलएनटी मशीनों को जब्त किया गया है। शांति भंग में 60 लोगों को गिरफ्तार किया गया। इसके साथ ही अलग-अलग मामलों में 23 लोगों को गिरफ्तार किया गया है।

